



09415901734

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम  
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
शाहजहाँपुर

पत्रांक:

वि0वि0खण्ड,प्र0/शाह0

दिनांक :

कार्यालय ज्ञापन

निगम आदेश संख्या 469-कार्य-14/पाकालि/2015-6 के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 25.4.2015 एवं 696-कार्य-14/पाकालि/2015-6 के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 29.6.2015 के अनुपालन में नीचे दर्शाये गये आवेदक के पक्ष में अधोलिखित शर्तों/प्रति-बन्धों के तहत विद्युत भार स्वीकृत किया जाता है।

क्रमांक	इकाई/उपभोक्ता का नाम एवं पता	स्वीकृत भार	विद्या	विभव	प्रयोजन	कार्यस्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री हरगोविन्द मोदी निदेशक कुंज बिहारी इन्फ्राडेवलपर्स प्रा0लि0 बरेली मोड़, शाहजहाँपुर	825 कि0वा0	एल0एम0वी0-1	11के0वी0	आवासीय बत्ती पंखा हेतु	साउथ सिटी कालोनी, बरेली मोड़, शाहजहाँपुर

उपरोक्त विद्युत भार स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्नलिखित सम्बन्धित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन है:-

- उपरोक्त भार स्वीकृति उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों एवं दिशानिर्देशों एवं डिस्ट्रीब्यूशन कोड-2005 में निहित प्राविधानों/नियमों के प्रतिबन्धनाधीन होगा।
- प्रभावित 400/220/132/33 के0वी0 उपसंस्थानों पर स्थापित ट्रान्स्फार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
- विद्युत प्रणाली ओवर लोडेड होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि इकाई को विद्युत आपूर्ति में ब्रेक डाउन, लोड रोस्टिंग तथा लो बोल्टेज की समस्याएँ विद्यमान रहे जिसके लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- इस आदेश के निर्गत होने से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उपरिलिखित विद्युत भार उपभोग न करने की दशा में अथवा नियम एवं शर्तें दिये जाने की तिथि से 90 दिनों

9

- के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने की दशा में जो भी तिथि पहले हो, यह स्वीकृत स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
5. यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका हो तो उक्त दशा में भी यह आदेश निरस्त माने जायेंगे।
  6. उपरोक्त भार की अवमुक्ति तकनीकी सम्भाव्यता के प्रतिबंधाधीन होगा।
  7. यह स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रतिबन्धित है कि उपभोक्ता को इस विद्युत भार के उपभोग से पूर्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय, अग्निशमन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद (यू0पी0 पोलूशन कन्ट्रोल बोर्ड) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) के अतिरिक्त उक्त प्रयोजनार्थ शासन के सम्बन्धित विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा लाइसेन्स (यदि नियमतः आवश्यक हो) भी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को जमा करना अनिवार्य होगा।
  8. उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद/निगम नियमों के अन्तर्गत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टिंग तथा आपातकालीन रोस्टिंग की जा सकती है।
  9. विद्युत आपूर्ति परिषद/निगम में लागू रेट-शेडयूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
  10. किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगर पालिका/नगर महापालिका/टाउन एरिया की सीमा से बाहर बढ़ा कर विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
  11. यदि कालम एक में उल्लेखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम पहले से कोई कनैक्शन रहा हो तो उक्त भार तब तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पुराने कनैक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया परिषदीय/निगमीय धनराशि (यदि कोई हो) पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
  12. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और परिषद/निगम के मध्य कोई न्यायिक विवाद अथवा कोर्ट केस लम्बित हो तो उस दशा में भी विद्युत भार रिलिज नहीं किया जायेगा।
  13. समय-समय पर निगम एवं डिस्ट्रीब्यूशन कोड-2005 द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् ही विविध भार स्वीकृत भार की सीमा के अन्तर्गत सक्षम अधिकार द्वारा नियमानुसार निर्गत किए जायेंगे।
  14. उपभोक्ता द्वारा विद्या/उत्पाद या कार्य स्थल बदलने पर यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
  15. विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत आवश्यकता/मॉंग के लिए पृथक से पूर्वानुमति प्राप्त की जा सकती है/प्राप्त कर सकते हैं।
  16. 11 के0वी0 लाइन के नीचे रोड कासिंग तथा बस्ती में गार्डिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी।
  17. ऊर्जाकरण से पूर्व सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
  18. जिला प्रशासन द्वारा यदि परिसर अवैध घोषित कर दी जाती है तो उक्त परिसर की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व बिल्डर का होगा।
  19. अनुबन्ध करने से पूर्व स्टाम्प डियूटी एक्ट एवं निगम द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
  20. साउथ सिटी सबस्टेशन कालोनी को 33/11 के0वी0 सबस्टेशन आवास विकास से 11 के0वी0 स्वतंत्र पोषक के बन जाने के उपरांत ही संयोजन निर्गत करना सम्भव होगा।

9

विपरीत प्रणाली दशाओं/आपात कालीन काटौती अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत आवश्यकता/मांग बनाये रखने के लिये परामर्श दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का /के जनरेटिंग सेट/इंजन लगा ले।

(अशोक सुन्दरम)  
अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक: 1241

वि0वि0खण्ड,प्र0/शाह0

तददिनांक :- 13-7-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वितरण) बरेली क्षेत्र, बरेली।
2. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, शाहजहाँपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी द्वितीय, विद्युत वितरण खण्ड शाहजहाँपुर।
4. मानचित्रक विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम शाहजहाँपुर।
5. आर-1 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम शाहजहाँपुर।
6. सम्बन्धित उपभोक्ता।

(अशोक सुन्दरम)  
अधिशायी अभियन्ता



09415901734

कार्यालय  
अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम  
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
शाहजहाँपुर

पत्रांक:

वि०वि०खण्ड, प्र०/शाह०

दिनांक :

कार्यालय ज्ञापन

निगम आदेश संख्या 469-कार्य-14/पाकालि/2015-6 के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 25.4.2015 एवं 696-कार्य-14/पाकालि/2015-6 के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 29.6.2015 के अनुपालन में नीचे दर्शाये गये आवेदक के पक्ष में अधोलिखित शर्तों/प्रति-बन्धों के तहत विद्युत भार स्वीकृत किया जाता है।

क्रमांक	इकाई/उपभोक्ता का नाम एवं पता	स्वीकृत भार	विद्या	विभव	प्रयोजन	कार्यस्थल
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री हरगोविन्द मोदी निदेशक श्री इन्फ्रा बिल्ड प्रा०लि० बरेली मोड़, शाहजहाँपुर	227 कि०वा०	एल०एम०वी०-1	11के०वी०	आवासीय बत्ती पंखा हेतु	साउथ सिटी कालोनी, बरेली मोड़, शाहजहाँपुर

उपरोक्त विद्युत भार स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्नलिखित सम्बन्धित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन है:-

- उपरोक्त भार स्वीकृति उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों एवं दिशानिर्देशों एवं डिस्ट्रीब्यूशन कोड-2005 में निहित प्राविधानों/नियमों के प्रतिबन्धनाधीन होगा।
- प्रभावित 400/220/132/33 के०वी० उपसंस्थानों पर स्थापित ट्रान्स्फार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
- विद्युत प्रणाली ओवर लोडेड होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि इकाई को विद्युत आपूर्ति में ब्रेक डाउन, लोड रोस्टिंग तथा लो बोल्टेज की समस्याएँ विद्यमान रहे जिसके लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

4. इस आदेश के निर्गत होने से अधिकतम एक वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा उपरिलिखित विद्युत भार उपभोग न करने की दशा में अथवा नियम एवं शर्तें दिये जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर वांछित धनराशि जमा न किये जाने की दशा में जो भी तिथि पहले हो, यह स्वीकृत स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
5. यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका हो तो उक्त दशा में भी यह आदेश निरस्त माने जायेंगे।
6. उपरोक्त भार की अवमुक्ति तकनीकी सम्भाव्यता के प्रतिबंधाधीन होगा।
7. यह स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रतिबन्धित है कि उपभोक्ता को इस विद्युत भार के उपभोग से पूर्व विद्युत सुरक्षा निदेशालय, अग्निशमन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण परिषद (यू0पी0 पोलूशन कन्ट्रोल बोर्ड) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) के अतिरिक्त उक्त प्रयोजनार्थ शासन के सम्बन्धित विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा लाइसेन्स (यदि नियमतः आवश्यक हो) भी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को जमा करना अनिवार्य होगा।
8. उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद/निगम नियमों के अन्तर्गत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टिंग तथा आपातकालीन रोस्टिंग की जा सकती है।
9. विद्युत आपूर्ति परिषद/निगम में लागू रेट-शेड्यूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
10. किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगर पालिका/नगर महापालिका/टाउन एरिया की सीमा से बाहर बढ़ा कर विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
11. यदि कालम एक में उल्लेखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम पहले से कोई कनैक्शन रहा हो तो उक्त भार तब तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पुराने कनैक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया परिषदीय/निगमीय धनराशि (यदि कोई हो) पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
12. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और परिषद/निगम के मध्य कोई न्यायिक विवाद अथवा कोर्ट केस लम्बित हो तो उस दशा में भी विद्युत भार रिलिज नहीं किया जायेगा।
13. समय-समय पर निगम एवं डिस्ट्रीब्यूशन कोड-2005 द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् ही विविध भार स्वीकृत भार की सीमा के अन्तर्गत सक्षम अधिकार द्वारा नियमानुसार निर्गत किए जायेंगे।
14. उपभोक्ता द्वारा विद्या/उत्पाद या कार्य स्थल बदलने पर यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
15. विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत आवश्यकता/माँग के लिए पृथक से पूर्वानुमति प्राप्त की जा सकती है/प्राप्त कर सकते हैं।
16. 11 के0वी0 लाइन के नीचे रोड कासिंग तथा बस्ती में गार्डिंग अनिवार्य रूप से करनी होगी।
17. ऊर्जाकरण से पूर्व सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
18. जिला प्रशासन द्वारा यदि परिसर अवैध घोषित कर दी जाती है तो उक्त परिसर की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व बिल्डर का होगा।
19. अनुबन्ध करने से पूर्व स्टाम्प डियूटी एक्ट एवं निगम द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

SP

20. साउथ सिटी सबस्टेशन कालोनी को 33/11 के0वी0 सबस्टेशन आवास विकास से 11 के0वी0 स्वतंत्र पोषक के बन जाने के उपरांत ही सयोजन निर्गत करना सम्भव होगा।

विपरीत प्रणाली दशाओं/आपात कालीन काटौती अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत आवश्यकता/मांग बनाये रखने के लिये परामर्श दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का /के जनरेटिंग सेट/इंजन लगा ले।

(अशोक सुन्दरम)  
अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक: 1240 वि0वि0खण्ड,प्र0/शाह0

तददिनांक : 13-4-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वितरण) बरेली क्षेत्र, बरेली।
2. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, शाहजहाँपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी द्वितीय, विद्युत वितरण खण्ड शाहजहाँपुर।
4. मानचित्रक विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम शाहजहाँपुर।
5. आर-1 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम शाहजहाँपुर।
6. सम्बन्धित उपभोक्ता।

(अशोक सुन्दरम)  
अधिशायी अभियन्ता